THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). Yes.

(c) and (d). The proposal for construction of a road over-bridge in replacement of level crossing No. 450 at Morena is already included in the Railways Works Programme at an estimated cost of Rs. 119.18 lakhs of which the Railway's share is about Rs. 59.59 lakhs. The work is expected to be taken up shortly and is likely to be completed in 3 years time. The work is being synchronised with the construction of approaches which is to be done by the State Government.

Newly Built Quarters in Dhanbad Division

6241. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the detailed cases of unauthorised occupation on newly built quarters in Dhanbad Division, Eastern Railway and the action taken by the administration to evict the unauthorised persons; and

(b) the action taken by Government to evict the large number of outsiders forcibly living in the Outhouses attached to the Bunglow of Officers, Inspectors, etc. on Indian Railways?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) One hundred newly-built quarters are occupied unauthorisedly by the railway staff in Dhanbad Division. Action has already been initiated to get the quarters vacated.

(b) Action for eviction in such cases is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 and/or assistance of local police or authorities taken to have the premises vacated.

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

6242. **श्री आर एन. राकेश:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय में विभागीय पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का आरक्षण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सवर्ण जाति कर्मचारी संगठन द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को परेशान किये जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संगठन के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ). विभागीय पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आम आरक्षण नियमों के पालन को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। किन्तु, स्थगन के परित्याग करने पर उच्चतम न्यायाल्य के आदेशों के अनुसार तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां की जा रही हैं। बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दे दिया जाये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाता।

चिकित्सा सेवाओं के संबंध में किये गये अध्ययन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन

6243. **श्री नरसिंह मकवाना:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में चिकित्सा सेवाओं के बारे में किए गए अध्ययन पर प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है और उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जा सकता है; और